जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामीण विकास के संदर्भ में बडौदा ग्रामीण बैंक की भूमिका

सत्यम सिंह*

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है जहां पर ये सुविधाएं नहीं हैं इन बैंकों का मूल उद्देश्य समाज के उन कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है। बैंकों का एक उद्देश्य ग्रामीण बचत को जुटाकर उत्पादक गतिविधियों में लगाना भी है। आरम्भ में 2 अक्टूबर, 1975 को पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए– उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर तथा पश्चिम बंगाल में माल्दा में इन बैंकों की स्थापना की गई बाद में देश के अन्य भागों में भी इन बैंकों का विस्तार किया गया।

30 जून, 2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 16,572 शाखाएं कार्य कर रही थी जिनमें से 74.7 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ये ग्रामीण शखाएं अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल ग्रामीण साख में 37 प्रतिशत का योगदान देती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम व गोवा के अलावा सभी राज्यों में कार्यरत है। सितम्बर 2005 तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में गठित किए गए कार्यकारी दल (केलकर समिति) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 के बाद कोई नया बैंक नहीं खोला गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व भारत सरकार सम्बन्धित राज्य सरकार तथा इनके प्रवर्तक बैंकों के पास है। इनकी निर्गत पूंजी का बंटवारा इन तीनों के मध्य 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत के अनुपात में है। कुछ विशेष प्राथमिकता प्रदान गतिविधियों के वित्तीयकरण के लिए प्रोत्साहन देने के लिए इन RRBs को नाबार्ड तथा इनके प्रवर्तक बैंकों ने पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 23ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने दिनांक **31.03.2008** को गजट अधिसूचना द्वारा बड़ौदा पूर्वी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलित कर **बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की जिसका प्रधान कार्यालय रायबरेली में स्थित है।**

बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में वर्गीकृत है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 (बी) के अन्तर्गत समस्त बैंकिंग संव्यवहार करने के लिए अधिकृत है। यह बैंक कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योग, पशुपालन, गृह एवं ग्रामोद्योग, ग्रामीण कलाओं तथा गांव में चलने वाली अन्य सम्बद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की व्यवस्था करने हेतु एक सर्वोच्च संस्था है। इस बैंक की स्थापना के बाद से कृषि एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित समस्त कार्य और रिजर्व बैंक के कृषि साख के मुख्य कार्य इस बैंक के अधीन हो गए हैं। इस तरह यह बैंक राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यापारिक बैंकों को कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां अधिकांश आबादी (65–70 प्रतिशत) गांव में रहती है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है।

जनपद की प्रमुख आर्थिक गतिविध कृषि तथा पशुपालन है। जनपद में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में 90 प्रतिशत ऋण दुग्धपालन के लिए वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त फलोत्पादन व विपणन, सब्जी उत्पादन आदि का कार्य भी व्यापक रूप से किया जाता है। जनपद में मुख्य

* शोध छात्र, वाणिज्य संकाय, मदनमोहन मालवीय पी0जी0 कालेज, कालाकाँकर, प्रतापगढ़

खाद्यान्न गेहूं तथा धान है। इसके अतिरिक्त मक्का, दलहन व तिलहन भी व्यापक रूप से उत्पादित होता है। वाणिज्यिक फसल में आलू तथा अन्य सब्जियां हैं। जनपद ऑवला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां पर आम का भी उत्पादन काफी अधिक मात्रा में होता है। जनपद से गंगा एवं सई नदी होकर निकलती है। रेल व सड़क मार्ग से सम्पर्क में होने के कारण जनपद में विभिन्न उत्पादित उत्पादों के विपणन की व्यापक सम्भावनायें हैं। अधिकांश उत्पाद इलाहाबाद में बेचे जाते है तथा आवश्यकतानुसार रोजमर्रा की विभिन्न वस्तुओं की खरीददारी इलाहाबाद या लखनऊ से करने की प्रथा है।

बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़ ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों, सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों एवं लघु व कुटीर उद्यमियों को सरलता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराकर कृषि एवं ग्रामीण विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। इन बैंकों की अधिकांश शाखाएं पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं जहां पर बैंकिंग सुविधाएं पहले से उपलब्ध नहीं हैं। ये बैंकें ग्रामीण क्षेत्र की पारिवारिक बचतों को प्रोत्साहित करती हैं। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 523 जिलों के अन्तर्गत 14507 शाखाएं कार्य कर रही हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयवार एवं जनपदवार शाखा संजाल निम्नानुसार है–

क्षेत्र	जिला	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	कुल शाखायें
इलाहाबाद	इलाहाबाद	76	07	03	06	92
	कौशाम्बी	27	03	00	00	30
उपयोग		103	10	03	06	122
बरेली	बरेली	53	14	07	00	74
फैजाबाद	फैजाबाद	34	03	02	00	39
	अम्बेदकर नगर	41	04	00	00	45
	सुलतानपुर	37	01	00	00	38
	अमेठी	16	00	00	00	19
उपयोग		131	08	02	00	141
कानपुर	कानपुर नगर	42	04	00	10	56
	कानपुर देहात	49	05	00	00	54
उपयोग		91	09	00	10	110
प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	80	07	00	00	87
	सुल्तानपुर	28	0	02	00	30
	अमेठी	24	01	00	00	25
उपयोग		132	08	02	00	142
रायबरेली	रायबरेली					
उपयोग		132	08	02	00	142
रायबरेली	रायबरेली	87	03	02	00	92
	फतेहपुर	64	08	02	00	74
	इमेठी	18	03	00	00	21
उपयोग		169	14	04	00	187
शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	34	06	05	00	45

	पीलीभीत	20	03	02	00	25
उपयोग		54	09	07	00	70
	कुल	733	72	25	16	846

स्रोत– वार्षिक प्रतिवेदन 2014, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय रायबरेली (उ0प्र0)

प्रतापगढ़ जनपद में कुल 2219 गाँवों में से 1878 गाँवों का विद्युतीकरण हो गया है। डीजल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। जनपद में अधिशाषी व सहायक अभियन्ता का कार्यालय है। 48 बोरिंग सेट तथा 37 बोरिंग टेक्निशियन हैं। सई एवं लोनीं नदी में गर्मी के दिनों में पानी कम हो जाता है। जनपद के दक्षिणी तरफ से गंगा नदी बहती हैं। जहां से लिफ्ट सिंचाई हो सकती है। नहरों में आवश्यकता से कम पानी उपलब्ध होने, समय से उपलब्ध न होने तथा सरकारी नलकूपों के रखरखाव में कमी एवं मानक के अनुसार पानी न उपलब्ध होने के कारण सिंचाई में पम्पसेटों की आवश्यकता बढ़ी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से डीजल/इलेक्ट्रिक पम्प सेट की खरीद पर पम्प की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10,000 प्रति पम्प जो भी कम हो, अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था है।

किसान मेला, किसान गोष्ठी, जागरूकता कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड प्रचार/गोष्ठियों, ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों, कृषक क्लबों की बैठकों आदि के दौरान प्रोजेक्ट टीम द्वारा किसानों से चर्चा के दौरान विभिन्न मापदण्डों पर किसानों से प्राप्त सूचनाओं उनके विचारों एवं उसका समाधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

1. जनपद में कुल 4.96 लाख लघु/सीमान्त किसान हैं। 73 प्रतिशत भूमि सिंचित है। मात्र 27 प्रतिशत भूमि असिंचित है। सिंचाई नहर एवं पम्पसेटों द्वारा की जाती है।
2. किसानों द्वारा मुख्यतया धान, गेहूं, आलू, साग–सब्जी, सरसों आदि की खेती की जाती है। प्रति हेक्टेयर औसत उपज गेहूं 22 कुन्तल, धान 30 कुन्तल, आलू 180 कुन्तल प्राप्त होती है। लगभग 30 प्रतिशत किसान ही अपने उत्पाद को बाजार में बेचते हैं। शेष किसानों के पास बाजार में बेचने हेतु उत्पाद नहीं बचता है। घरेलू खान–पान में ही खर्च हो जाता है।
3. सभी किसान रासायनिक खाद एवं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में कुछ किसानों ने जैविक खाद जैसे कि वर्मीकम्पोस्ट, नैडप इत्यादि का प्रयोग सीमित स्तर पर करना प्रारम्भ किया है और विशेष रूप से इस प्रकार की खादों का प्रयोग सब्जी एवं फल उत्पादन में किया जाता है। यद्यपि कृषि विभाग द्वारा वर्मी कम्पोस्ट एवं नैडप के उत्पादन हेतु अनुदान युक्त योजनाएं हैं परन्तु ये योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है।
4. ज्यादातर फसल को उगाने के लिए अपने खेत में उत्पादित बीज का प्रयोग करते हैं 25 प्रतिशत किसान बाजार/सोसायटी से उन्नतिशील बीज का प्रयोग करते हैं इसका कारण बाजार में प्रमाणित बीजों की अनुपलब्धता एवं कमी है।
5. 60 से 70 प्रतिशत किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है जिसका उपयोग खेती के लिए ऋण लेकर करते हैं। बैंक से ऋण प्राप्त करना आसान नहीं है। बैंकों द्वारा किसानों को जान–बूझकर परेशान किया जाता है। कृषक हितैषी क्रेडिट कार्ड जैसी योजना में भी कमोवेश यही स्थिति है। बैंक द्वारा ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. A.K. Jain : Economic Planning in India
2. Ashok Rudra : Indian Plan Models
3. A.L. Pigou : Socialism Versus Capitalist
4. Aurabindo : Foundation of Indian Culture
5. B.S. Minhas : Planning and the Poor
6. B.A. Chansarkar : Models for Planning In India
7. Biswajit Guha : Human Development in India Study of Inter State Disparity Indian Economic Association Conference Volume.
8. डॉ0 ब्रदी विशाल त्रिपाठी : विकास एवं सम्भावनाएं।
9. मिश्रा एवं पुरी : भारतीय अर्थ व्यवस्था।
10. डॉ0 जय प्रकाश मिश्रः भारतीय अर्थ व्यवस्था।
11. जगदीश नारायण मिश्रः भारतीय अर्थ व्यवस्था।
12. रूद्रदत्त एवं सुन्दरम : भारतीय अर्थ व्यवस्था।
13. भारत सरकार : प्रकाशन विभाग, भारत।
14. महाश्वेता देवी एवं निर्मल घोष : भारत में बंधुआ मजदूर।
15. डॉ0 जी0सी0 सिंघई, डॉ0 एस0के0 सिंह : मुद्रा एवं बैंकिंग।